कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 04/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.01.2026

थाना : जीयनपुर, जनपद : आजमगढ़

अन्तर्राज्यीय एटीएम फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़: जीयनपुर पुलिस ने एटीएम बदलकर लाखों की ठगी करने वाले दो शातिर अपराधियों को हथियार, नकदी व 25 एटीएम कार्ड सहित किया गिरफ्तार

- एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह पर बड़ी कार्रवाई, दो शातिर अपराधी गिरफ्तार
- एटीएम फ्रॉड पर बड़ी चोट: जीयनपुर पुलिस ने अन्तर्राज्यीय ठग गिरोह का किया पर्दाफाश
- लाखों की एटीएम ठगी करने वाले शातिर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, हथियार व दर्जनों कार्ड बरामद
- एटीएम बदलकर पैसा उड़ाने वाले गिरोह का खुलासा, बिहार–महाराष्ट्र के दो अपराधी गिरफ्तार

पूर्व की घटनाओं का संक्षिप्त विवरण :

1. दिनांक **11.12.2025** को आवेदक **कर्मजीत प्रजापति पुत्र दहारी प्रजापति**, निवासी ग्राम लगडपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जीयनपुर के एटीएम से पैसा निकालते समय दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर **₹25,000/-** निकाल लिए गए। इस संबंध में थाना जीयनपुर पर **मु0अ0सं0 533/2025 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस** पंजीकृत हुआ।
2. दिनांक **07.12.2025** को आवेदक **श्री अच्छेलाल पुत्र चन्द्रहास**, निवासी ग्राम डिघवनिया काजी, थाना जीयनपुर के IDBI बैंक एटीएम कार्ड को SBI एटीएम, लाटघाट बाजार से बदलकर **₹45,000/-** निकाल लिए गए। इस संबंध में **मु0अ0सं0 03/2026 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक **01.11.2025** को थाना मुबारकपुर क्षेत्रान्तर्गत एटीएम से कार्ड फंसाकर **₹81,082/-** की ठगी की घटना कारित की गई, जिसके संबंध में **मु0अ0सं0 474/25 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस** पंजीकृत है।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण :

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा एटीएम बदलकर धन निकासी करने वाले शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, **अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)** एवं **क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल निर्देशन में, प्रभारी निरीक्षक **राजकुमार सिंह** के नेतृत्व में आज दिनांक **02.01.2026** को थाना जीयनपुर पुलिस टीम द्वारा ग्राम **नरईपुर** के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।
इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर **I-10 हुंडई कार** को रोका गया, जिसमें सवार दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम

1. **दीपक पुत्र इन्द्रभूषण झा**, निवासी ग्राम धनौजा, थाना बेनीपट्टी, जिला मधुबनी (बिहार), हाल मुकाम कल्याण (मुंबई)
2. **सौरभ चौधरी पुत्र मधुकर चौधरी**, निवासी ग्राम अमनेर, थाना अमनेर, जिला जलगांव (महाराष्ट्र), हाल मुकाम कल्याण (मुंबई)

बताया। दोनों अभियुक्तों को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण :

- 02 अदद तमंचा .315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 01 अदद कार I-10 हुंडई (फर्जी नंबर **BR-32-AB-4466**)
- 25 अदद एटीएम कार्ड
- 02 अदद मोबाइल फोन
- ₹45,000/- नकद

☐ अपराध का तरीका (Modus Operandi)

• अभियुक्तगण एक **संगठित गिरोह** के रूप में कार्य करते थे तथा विभिन्न जनपदों/राज्यों में स्थित एटीएम मशीनों को अपना लक्ष्य बनाते थे।

• एटीएम बूथ पर ऐसे खाताधारकों को चिन्हित करते थे जो **एटीएम संचालन में असहज, वृद्ध या कम शिक्षित** प्रतीत होते थे।

• सहायता के बहाने अभियुक्त एटीएम बूथ के अंदर प्रवेश कर **पीड़ित से बातचीत कर उसका ध्यान भटकाते** थे।

• मौका पाकर पीड़ित का **वास्तविक एटीएम कार्ड चोरी** कर लेते थे तथा उसकी जगह **दूसरा एटीएम कार्ड बदलकर** पीड़ित को दे देते थे।

• कई मामलों में **एटीएम मशीन में कार्ड फँसने का नाटक** कर पीड़ित को भ्रमित करते थे।

• पीड़ित का एटीएम कार्ड एवं पिन प्राप्त होते ही अभियुक्त **विभिन्न एटीएम मशीनों से शीघ्र धन निकासी** कर लेते थे।

• पुलिस की पहचान से बचने के लिए अभियुक्त **एक ही स्थान पर बार-बार वारदात नहीं करते**, बल्कि स्थान बदल-बदलकर अपराध करते थे।

• घटनास्थल पर आने-जाने के लिए अभियुक्त **फर्जी नंबर प्लेट लगी कार** का प्रयोग करते थे। पकड़े जाने की स्थिति से बचाव हेतु अभियुक्त **अवैध हथियार अपने पास रखते** थे। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे इस प्रकार **कई जनपदों व राज्यों में एटीएम कार्ड बदलकर लाखों रुपये की ठगी** कर चुके हैं।

☐ पंजीकृत अभियोग :

1. **मु0अ0सं0 04/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट**, थाना जीयनपुर
2. **मु0अ0सं0 05/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट**, थाना जीयनपुर

☐ अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास :

दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में **धोखाधड़ी, चोरी एवं एटीएम फ्रॉड** से संबंधित अनेक अभियोग पंजीकृत हैं, जिनका विस्तृत आपराधिक इतिहास उपलब्ध है।

1. मु0अ0स0 533/25 धारा 303(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2) बीएनएस
2. मु0अ0स0 03/2026 धारा 303(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2) बीएनएस
3. मु0अ0स0 474/25 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
4. मु0अ0सं0 90/2016 धारा 34/420/511 भादवि थाना कलवा जनपद थाणे सीटी, महाराष्ट
5. मु0अ0सं0 246/2016 धारा 379/427 भादवि थाना कसरदावली जनपद थाणे सीटी, महाराष्ट
6. मु0अ0सं0 196/2016 धारा 34/379 भादवि थाना खोपऊ जनपद रायगढ़, महाराष्ट
7. मु0अ0सं0 147/2014 धारा 34/420 भादवि थाना नौपाड़ा जनपद थाणे सीटी, महाराष्ट

अभियुक्त सौरभ चौधरी पुत्र मधुकर चौधरी ग्राम अमनेर थाना अमनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र तथा अपना हाल पता निवासी कल्याण अनमोल गार्डेन 50-50 ढ़ाबा के पीछे गायकवाड चल थाना चक्की नाला जिला थाडे मुंबई महाराष्ट्र

1. मु0अ0स0 533/25 धारा 303(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2) बीएनएस
2. मु0अ0स0 03/2026 धारा 303(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2) बीएनएस
3. मु0अ0स0 474/25 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 जाफर खांन थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 संदीप यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4.का0 सौरभ सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5.का0 अर्जुन कुशवाहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
6.का0 अवधेश कुशवाहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
7. का0 अक्षय प्रसाद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

➡☐ *जनपद पुलिस द्वारा एटीएम फ्रॉड जैसे साइबर/तकनीकी अपराधों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी है। आमजन से अपील है कि एटीएम उपयोग के समय सतर्क रहें एवं किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से सहायता न लें।*

थाना कोतवाली जीयनपुर
BR 32.AB.4466

प्रेस नोट

थाना : गम्भीरपुर, जनपद : आजमगढ़

□ सर्राफा कारोबारी पर फायरिंग कांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार, गम्भीरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण :-

➡□ दिनांक 30.12.2024 को वादी श्री पप्पू सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह, निवासी बिन्द्राबाजार, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 29.12.2024 को समय लगभग 18.30 बजे बिन्द्राबाजार स्थित उनकी सर्राफा दुकान पर अभियुक्तों 01. फरदीन पुत्र फिरोज अहमद, निवासी दाउदपुर, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ 02. हेसाम पुत्र रफीक, निवासी सिरसाल, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ द्वारा दुकान से सामान मांगने पर मना किए जाने के कारण जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर किया गया, जिससे वादी गोली लगने से घायल हो गया। इस संबंध में थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 458/24 धारा 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

➡□ उक्त घटना के पश्चात दिनांक 30.12.2024 को तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना गम्भीरपुर बसन्त लाल द्वारा उक्त अभियुक्त के कब्जे से एक देशी पिस्टल 32 बोर, 03 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस तथा मोटरसाइकिल गिरफ्तार किया गया था, इस संबंध में थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 459/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही :-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा जनपद में लूट, हत्या, गोवध एवं चोरी जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थानाध्यक्ष गम्भीरपुर की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 16.12.2025 को गैंग चार्ट का अनुमोदन किया गया। तदनुसार दिनांक 01.01.2026 को थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(ख)(I)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण :-

आज दिनांक 02.01.2026 को उ0नि0 योगेश सरोज मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम राजीपुर रजमों से समय लगभग 11.30 बजे गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त फरदीन पुत्र फिरोज अहमद को गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

01. फरदीन पुत्र फिरोज अहमद, निवासी दाउदपुर, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़, हाल मुकाम : आवक थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास :-

क्रम	मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद
1	मु0अ0सं0 458/2024 , धारा 109 बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2	मु0अ0सं0 459/2024, धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
3	मु0अ0सं0 01/2026, धारा 2(ख)(I)/3(1) यूपी गिरोहबंद अधि0 थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

01. उ0नि0 योगेश सरोज, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
02. कां0 मिथिलेश कुमार, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
03. कां0 रमेश यादव, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
04. कां0 आनन्द यादव, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़